

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, डूंगरपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022
प्र.इ.रि.स. 162/22 दिनांक 5/5/2022
2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 92 समय 6:10 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन व समय : रविवार दिनांक 09.01.2022
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 09.01.2022
4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित
5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी : उत्तर दिशा में करीब 520 किलोमीटर
(ब) पता : ग्राम गेड तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर
.....-..... बीट संख्या-..... जरायमदेही सं.....-.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना-..... जिला-.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : – श्री बाबुलाल
(ब) पिता का नाम : – श्री जीवाजी फलेजा
(स) जन्म तिथि/वर्ष : –
(द) राष्ट्रियता : – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या-..... जारी होने की तिथि-.....
जारी होने की जगह-.....
(र) व्यवसाय : – मजदूरी
(ल) पता : – निवासी माकरेडा थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
श्री कैलाश शर्मा पुत्र बाबुलाल शर्मा उम्र 57 वर्ष निवासी गांव बालेरा तहसील अलवर जिला अलवर
हाल पटवारी गेड तलैया तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।
8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण : कोई विलम्ब नहीं
9. चुराई हुई/संलपित सम्पत्ति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)
क्र.सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तुस्थिति
- - - - -
10. चुराई हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य : -
11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो : -
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून) (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे) :

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि दिनांक 09.01.2022 को परिवादी श्री धनपाल खराडी निवासी गेड पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर से जरिये मोबाईल नं. 9079705126 से सम्पर्क किया तो परिवादी श्री धनपाल ने बताया था कि उसके परिचित श्री बाबूलाल निवासी माकरेडा से पटवारी पटवार हल्का गेड तलैया द्वारा इन्तकाल बटवारा व बिला नाम भूमि को खातेदारी हक दिलाने के एवज में पटवारी द्वारा रिश्वत् की मांग की जा रही है। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री धनपाल खराडी को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री बाबूलाल को हमराह लेकर तुरन्त ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पहुंचे तथा जरिये दूरभाष श्री वीर विक्रम कानि. को भी मुनासिब हिदायत दी गई। समय 01.30 पीएम पर श्री वीर विक्रम कानि. ने जरिये दूरभाष मन् अति. पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि चौकी हाजा पर परिवादी श्री बाबूलाल पिता जीवाजी फलेजा

ll

निवासी माकरेडा पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर एवं सहपरिवादी श्री धनपाल खराडी निवासी गेड पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर पैशा एडवोकेट उपस्थित आये हैं। परिवादी द्वारा पटवारी हल्का गेड तलैया द्वारा उसके इन्तकाल का बटवारा करने के लिए 15000 रुपये रिश्वत् मांगने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को निर्देशित किया गया कि परिवादी का प्रार्थना प्राप्त कर नियमानुसार रिश्वत् मांग सत्यापन की कार्यवाही कर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को अवगत करावें। समय 07.30 पीएम पर श्री वीर विक्रम कानि. ने जरिये दूरभाष मन् अति. पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि आपके निर्देशानुसार डिजिटल टेप रिकार्डर लेकर परिवादी श्री बाबूलाल के हमराह ब्यूरो इकाई डूंगरपुर रवाना होकर ग्राम गेड पहुंचकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर रिश्वत् मांग सत्यापन हेतु आरोपी पटवारी के ग्राम गेड में प्राईवेट किराये के मकान पर भेजा गया तथा मन् कानि. आरोपी के किराये के मकान के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाकर मुकीम रहा तो करीब एक घंटे बाद परिवादी हाजिर आया और डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि आरोपी पटवारी द्वारा 10000 रुपये की रिश्वत् की मांग परिवादी के इन्तकाल बटवारा व बिलानामे भूमि का आवंटन कराने के एवज में मांग की गई है, जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। ग्राम गेड से रवानाशुदा परिवादी को हमराह लेकर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित आया है। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बाबूलाल से भी वार्ता की गई तो परिवादी ने भी कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की गई और कहा कि आरोपी पटवारी 10000 रुपये रिश्वत् की मांग की गई है, जिसकी व्यवस्था करने में तीन-चार दिन का समय लग सकता है। जिस पर परिवादी को रिश्वत् राशि की व्यवस्था होने पर तुरन्त ही ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित आने की हिदायत की गई। कानि. वीर विक्रम सिंह ने यह भी बताया कि मैंने ग्राम गेड तलैया में आरोपी पटवारी की आम पृष्ठ भूमि के बारे में गोपनीय जानकारी ली गई तो आरोपी पटवारी का नाम कैलाश शर्मा है और वह बिना कोई रिश्वत् लिये काम नहीं करता है। श्री वीर विक्रम कानि. को निर्देशित किया गया कि डिजिटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने में रखा जावे तथा परिवादी को रिश्वत् राशि की व्यवस्था हो जाने पर तुरन्त ही ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित आने हेतु मुनासिब हिदायत देकर रुकसत करें।

दिनांक 12.01.2022 समय 06.00 पीएम को परिवादी श्री बाबूलाल रिश्वत् राशि लेकर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित नहीं आया है और ना ही जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया है। परिवादी श्री बाबूलाल से जरिये दूरभाष सम्पर्क नहीं हो पाया तो सहपरिवादी श्री धनपाल खराडी से सम्पर्क किया। सहपरिवादी ने बताया कि श्री बाबूलाल से सम्पर्क करना चाह रहा है मगर बाबूलाल फोन रिसीव नहीं कर रहा है, उसके घर पर जाकर भी पता किया तो घरवाले बाबूलाल का बाहर गया होना बता रहे हैं। शायद बाबूलाल रिश्वत् राशि की व्यवस्था करने गया है। बाबूलाल के घर आते ही बाबूलाल को हमराह लेकर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित आ जाउंगा। प्रकरण में आईन्द्रा परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 15.01.2022 समय 06.00 पीएम पर परिवादी श्री बाबूलाल से दूरभाष पर सम्पर्क करना चाहा तो उससे सम्पर्क नहीं हो रहा है। जिस पर सहपरिवादी श्री धनपाल से कई बार सम्पर्क दूरभाष पर किया तो उसने बताया कि बाबूलाल मजदूरी पर चला गया है। उसके घर वालों को बाबूलाल को बुलाने की हिदायत की है। सहपरिवादी श्री धनपाल को हिदायत की श्री बाबूलाल से सम्पर्क कर उससे हमराह लेकर शीघ्र ही ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर आवे।

दिनांक 17.02.2022 को परिवादी श्री बाबूलाल से कई बार सम्पर्क करना चाहा मगर उसका फोन बंद आ रहा है। जिस पर सहपरिवादी श्री धनपाल से दूरभाष पर कई बार सम्पर्क किया तो उसने बताया कि किसी ने बाबूलाल को भ्रमित कर दिया है व उससे निरन्तर सम्पर्क के प्रयास कर रहा है। बाबूलाल के पुत्र को भी बुलाकर समझाया है, शीघ्र ही बाबूलाल को लेकर उपस्थित आ जाउंगा। दिनांक 09.03.2022 समय 09.00 पीएम पर श्री वीर विक्रम कानि. को परिवादी श्री बाबूलाल की तलबी हेतु उसके घर भेजा गया था। श्री वीर विक्रम कानि. ने बताया कि बाबूलाल के घर जाकर गोपनीय रूप से मालूमात की तो वह गुजरात मजदूरी हेतु जाना बताया तथा उसके परिवार वाले सही जगह नहीं बता रहे हैं। श्री बाबूलाल का मोबाईल भी स्वीच ऑफ है। जिस पर उसके घर वालों को की श्री बाबूलाल आते ही जरिये दूरभाष सम्पर्क करने की मुनासिब हिदायत दी गई है।

दिनांक 27.03.2022 तक परिवादी श्री बाबूलाल रिश्वत् राशि लेकर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित नहीं आया है और ना ही जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया है। परिवादी श्री बाबूलाल से जरिये दूरभाष सम्पर्क नहीं हो पाया तो सहपरिवादी श्री धनपाल खराडी से सम्पर्क किया। सहपरिवादी ने बताया कि श्री बाबूलाल घर पर नहीं होकर मजदूरी हेतु बाहर गया हुआ है जो उसके उपस्थित आने पर बाबूलाल को हमराह लेकर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित आ जाउंगा। दिनांक 30.03.2022 तक परिवादी श्री बाबूलाल रिश्वत् राशि लेकर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित नहीं आया है और ना ही जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया है। सहपरिवादी श्री धनपाल से भी दिनांक 29.03.2022 को जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो परिवादी श्री बाबूलाल घर पर नहीं होकर मजदूरी हेतु बाहर जाना बताया गया है। श्री वीर विक्रम कानि. को परिवादी श्री बाबूलाल के घर जाकर हमराह लेकर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर उपस्थित लाने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। दिनांक 30.03.2022 को श्री वीर विक्रम कानि. को परिवादी श्री बाबूलाल से सम्पर्क करने हेतु उसके गांव माकरेडा भेजा गया था, जो कानि. उसके गया तो परिवादी श्री बाबूलाल उपस्थित नहीं मिला और मजदूरी हेतु भिलुडा (गुजरात) जाना ज्ञात हुआ।

दिनांक 04.04.2022 समय 02.30 पीएम पर परिवादी श्री बाबूलाल ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर हाजिर आया। परिवादी द्वारा दिनांक 09.01.2022 को ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित होकर आरोपी पटवारी श्री कैलाश शर्मा पटवार मण्डल तलैया अतिरिक्त चार्ज गेड द्वारा रिश्वत् मांगने का प्रार्थना पत्र इस आशय का

पेश किया कि "मुझ प्रार्थी श्री बाबूलाल पिता स्व. श्री जीवा फलेजा निवासी माकरेडा ग्राम पंचायत गेड पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर का निवेदन इस प्रकार है कि हल्का पटवारी गेड तलैया द्वारा पूर्व में इन्तकाल बटवारा करने पर मुझ प्रार्थी के दो भाई अन्य हैं, तीनों से कुल 21900 रूपया रिश्वत् ली हैं। खाली पडी जमीन पेनल्टिया आदि के लिए व बटवारा का रिकार्ड में इन्द्राज करने हेतु तीनों भाईयों से क्रमशः प्रत्येक से 5000 रूपये कुल 15000 रूपये अक्षरे पन्द्रह हजार रूपया और रिश्वत् का मांग कर रहा हैं। मुझ प्रार्थी के भाई श्री पुना एवं सोमा के तो रूपया दे भी दिया हैं। मुझ प्रार्थी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से उक्त रिश्वत् राशि देने में असमर्थ हूँ। मैं प्रार्थी उक्त हल्का पटवारी द्वारा रिश्वत् राशि मांगे जाने पर कानुनी कार्यवाही हेतु भ्रष्टाचार कार्यालय डूंगरपुर में शिकायत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। कार्यवाही करना फरमावे।" इत्यादि पेश किया गया।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द-बशब्द सही होना स्वीकार किया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि आरोपी कैलाश शर्मा पटवारी से किसी प्रकार की कोई उधारी लेनदेन बाकियात नहीं हैं। पटवारी साहब द्वारा इन्तकाल बटवारा करने एवं बिला नाम भूमि के खातेदारी हक दिलाने के लिए हम तीनों भाईयों से कुल 21,900 रूपये रिश्वत् के पूर्व में ले लिये हैं तथा इसके बाद पटवारी साहब ने प्रत्येक से 5000-5000 हजार कुल 15,000 रूपये तीनों भाईयों के लिए रिश्वत् की मांग की गई। दिनांक 09.01.2022 को रिश्वत् मांग सत्यापन के दौरान पटवारी साहब ने 10,000 रूपये की मांग की गई, जिसको मैंने डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। उक्त वार्तालाप ग्राम गेड तलैया में पटवारी साहब के प्राईवेट किराये के मकान में हुई थी। मैं मजदूरी हेतु भिलुडा(गुजरात) चला गया था। मैं गांव में मकर संक्रान्ति के बाद(जनवरी माह के अन्तिम सप्ताह) आया तब मुझे पता चला कि पटवारी साहब हम तीनों भाईयों के इन्तकाल का बटवारा व बिला नाम भूमि की खातेदारी हक की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली थी। पटवारी साहब ने इतने दिनों तक रिश्वत् राशि हेतु न तो मुझसे सम्पर्क किया ना ही मेरे भाई श्री पूना एवं सोमा से किया। पटवारी साहब को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से सम्पर्क करना व रिश्वत् राशि की मांग करना बंद कर दिया, जिस कारण मैं मजदूरी हेतु गुजरात चला गया था। हम भाईयों का पटवारी साहब ने संबंधित इन्तकाल बटवारा व बिला नाम भूमि की खातेदारी हक बाबत कार्यवाही पूर्ण कर ली थी। दिनांक 28.03.2022 को पटवारी साहब से मिला तो उनके द्वारा मुझसे 750 रूपये नगद प्राप्त कर रसीद दी गई। पटवारी साहब ने मुझसे रिश्वत् के संबंध में कोई वार्तालाप नहीं की गई। इससे पूर्णतया सम्भावना है कि उनको ब्यूरो की कार्यवाही की भनक लग गई हैं। जिस कारण से अब वो रिश्वत् की राशि अब मुझसे ग्रहण नहीं करेंगे। मालखाने में रखा डिजिटल टेप रिकार्डर निकाल कर दिनांक 09.01.2022 को परिवादी श्री बाबूलाल एवं आरोपी श्री कैलाश शर्मा पटवारी के बिच हुई रिश्वत् मांग सत्यापन वार्तालाप को सुना गया तो आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से 10,000 रूपये रिश्वत् मांग की गई हैं, परन्तु ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से सम्पर्क करना बंद कर दिया तथा परिवादी से संबंधित कार्य इन्तकाल बटवारा एवं बिला नाम भूमि को खातेदारी हक बाबत कार्यवाही पूर्ण कर परिवादी से नियमानुसार 750 रूपये नकद प्राप्त कर रसीद उपलब्ध करा दी गई हैं। समय 03.45 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक, जिला डूंगरपुर के नाम तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह पत्रवाहक के साथ अविलम्ब भिजवाने हेतु तहरीर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. को दी जाकर मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 05.00 पीएम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. एवं उसके हमारह श्री जयन्तिलाल बरण्डा हाल तृतीय श्रेणी अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भगोरा फला ब्लॉक बिछीवाडा जिला डूंगरपुर उपस्थित आये। श्री जितेन्द्र कानि. ने बताया कि शिक्षा विभाग से एक ही गवाह उपलब्ध कराया गया हैं। अन्य एक गवाह हेतु अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग-खण्ड, डूंगरपुर को जरिये दूरभाष निवेदन किया गया। समय 05.25 पीएम पर तलबिदाशुदा श्री लोकेश कुमार चौबीसा वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग-खण्ड, डूंगरपुर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित आया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही में सम्मिलित रहने हेतु स्वीकृति चाही गई तो दोनो गवाहानों ने सम्मिलित रहने हेतु अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति दी गई। समय 05.35 पीएम पर परिवादी श्री बाबूलाल की दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्तिलाल एवं लोकेश कुमार से आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 09.01.2022 को पेश रिपोर्ट को पढ़कर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी श्री बाबूलाल ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में दिनांक 09.01.2022 को परिवादी श्री बाबूलाल व आरोपी कैलाश शर्मा पटवारी के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप टेप रिकार्डर में रिकार्ड हैं। डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा मूल एवं डब सीडीयां श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. से तैयार कराई गई। मूल सीडी को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुना जाकर श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को एक कपडे की थैली में डालकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर सीडी को नियमानुसार सील्ड की गई। समय 08.30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में रिकार्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप की सीलघीट शुदा मूल सीडी एवं डब सीडी को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कराया जाकर श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. को सुपूर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा गवाह श्री जयन्तिलाल व श्री लोकेश कुमार चौबीसा एवं परिवादी श्री बाबूलाल को मुनासिब हिदायत के रूखसत किये गये। परिवादी श्री बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार दिनांक 09.01.2022 को रिश्वत मांग का सत्यापन कराया गया तो आरोपी श्री कैलाश शर्मा पटवारी द्वारा परिवादी श्री बाबूलाल व उसके भाईयों के

इन्तकाल बटवारा व बिलानामी भुमि की खातेदारी हक दिलाने के एवज में पूर्व में 21,900 रुपये ग्रहण करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी पटवारी द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत मांग करना पाया गया है।

प्रकरण में आरोपी श्री कैलाश शर्मा पटवारी के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई परन्तु आरोपी पटवारी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से परिवादी से सम्पर्क करना बंद कर दिया और परिवादी व उसके भाईयों के इन्तकाल बटवारा व बिलानामी खातेदारी भुमि के हक राजस्व रिकोर्ड बाबत कार्यवाही पूर्ण की गई। प्रकरण में आरोपी श्री कैलाश शर्मा पटवारी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में दिनांक 09.01.2022 को परिवादी श्री बाबुलाल से 10,000 रुपये की स्पष्ट रूप से रिश्वत की मांग करना जो जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री कैलाश शर्मा पुत्र श्री बाबुलाल शर्मा उम्र 57 वर्ष निवासी गांव बालेरा तहसील व जिला अलवर हाल पटवारी पटवारी हल्का गेड तलैया तहसली बिछीवाडा जिला डूंगरपुर के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते कर्मांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,



(माधोसिंह)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्र.नि.ब्यूरो, डूंगरपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री कैलाश शर्मा, पटवारी, पटवार हल्का गेड तलैया, तहसील बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 162/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1418-22 दिनांक 5.5.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।